भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

आदेश सं. आईआरडीएआई/एफ&आई/ओआरडी/एमआईएससी/108/8/2026
Order No. IRDAI/F&I/ORD/MISC/108/8/2026 दिनांक / Date: 17th August, 2026

आदेश / ORDER

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 52डी के अधीन आदेश – सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के संबंध में प्रशासक की नियुक्ति के आदेश का निरसन
Order under Section 52D of the Insurance Act, 1938-Cancellation of the order of Appointment of Administrator in respect of Sahara India Life Insurance Company Limited

1. सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ("बीमाकर्ता") को बीमा अधिनियम, 1938 ("अधिनियम") के अधीन जीवन बीमा व्यवसाय संचालित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा सं. 127 से युक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था।

2. प्राधिकरण ने बीमाकर्ता के पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 52ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश सं. आईआरडीएआई/एफ&ए/ओआरडी/एफए/134/06/2017 दिनांक 12 जून 2017 ("उक्त आदेश") के अनुसार बीमाकर्ता के प्रशासक के रूप में श्री आर. के. शर्मा को नियुक्त किया था।

3. उक्त प्रशासक को कार्यकुशलता के अनुरूप अधिकाधिक मितव्ययिता के साथ बीमाकर्ता के व्यवसाय के प्रबंध का संचालन करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत लागू उपबंधों के अनुसार शक्तियाँ और कर्तव्य सौंपे गये थे।

4. तदुपरांत, प्राधिकरण ने आदेश संदर्भः आईआरडीएआई/एफ&आई/ओआरडी/विविध/119/6/2023 दिनांक 2 जून 2023 के अनुसार बीमाकर्ता के जीवन बीमा व्यवसाय का अंतरण एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ) को करने के लिए आदेश जारी किया है।

5. उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में, बीमाकर्ता के जीवन बीमा व्यवसाय का अंतरण, उससे संबंधित आस्तियों और देयताओं सहित, विधि के अनुसार एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को किया गया है। परिणामस्वरूप, अंतरित बीमा व्यवसाय के सभी पालिसीधारकों संबंधी सर्विसिंग और दायित्वों का निर्वहण एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

6. प्राधिकरण ने बीमाकर्ता के पास प्रशासक की नियुक्ति की निरतंरता की समीक्षा की है तथा इस संबंध में निम्नानुसार पाया हैः

   क) उक्त प्रशासक को नियुक्त करने का प्राथमिक प्रयोजन पालिसीधारकों के संरक्षण के लिए उपयुक्त विनियामक कार्रवाई होने तक बीमाकर्ता के कार्यों का परिरक्षण करना और प्रशासन को संभालना था;

   ख) बीमा व्यवसाय का अंतरण पूरा किया गया है;

सर्वे सं. 115/1, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032
Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032
दूरभाष Phone: 040-20204000; www.irdai.gov.in

ग) उक्त प्रशासक द्वारा प्रबंधन या प्रशासन के लिए अपेक्षित कोई बीमा व्यवसाय नहीं बचा है; तथा

घ) प्रशासक की नियुक्ति का प्रयोजन पूरा हो गया है।

7. अतः प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि परिस्थितियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 52डी के अधीन प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में जारी किये गये आदेश को निरस्त करने की आवश्यकता है।

8. अतः अब प्राधिकरण बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 52डी के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा निम्नानुसार आदेश जारी करता हैः

क) आदेश सं. आईआरडीएआई/एफ&ए/ओआरडी/एफए/134/06/2017 दिनांक 12 जून 2017 के अनुसार सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रशासक के रूप में श्री आर. के. शर्मा को नियुक्त करनेवाला आदेश इस आदेश की तारीख से निरस्त किया जाएगा तथा श्री आर. के. शर्मा उक्त बीमाकर्ता के प्रशासक की शक्तियों का प्रयोग करना और कार्यों का निष्पादन करना समाप्त करेंगे।

ख) शेयरधारकों के निवेशों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण सहित, बीमाकर्ता का प्रबंधन और कार्यों का निर्वहण 17.8.2026 से प्रभावी रूप में उक्त बीमाकर्ता में निहित किये जाएँगे और उनका संचालन उक्त बीमाकर्ता के द्वारा किया जाएगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश—

क) उक्त प्रशासक द्वारा अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान किये गये किसी भी कार्य, निर्णय, निदेश अथवा कार्रवाई की विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करता;

ख) प्राधिकरण अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के द्वारा प्रारंभ किये गये अथवा प्रारंभ करने के लिए प्रस्तावित किसी भी अन्वेषण, निरीक्षण, जाँच, न्यायनिर्णयन, अभियोजन अथवा अन्य विधिक या विनियामक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

1. Sahara India Life Insurance Company Limited (“the insurer”) was granted a certificate of registration bearing no.127 by the Authority to carry on life insurance business under the Insurance Act, 1938 (“the Act”).

2. The Authority, for the purpose of protecting the interests of the policyholders of the insurer, in exercise of the powers conferred under Section 52A of the Insurance Act, 1938, vide Order No. IRDAI/F&A/ORD/FA/134/06/2017 dated 12th June, 2017 ("the said Order"), had appointed Shri R.K. Sharma as the Administrator of the insurer.

3. The Administrator was entrusted with powers and duties as per the applicable provisions under the Insurance Act, 1938 to conduct the management of the business of the insurer with the greatest economy compatible with efficiency.

4. Subsequently, the Authority, vide order ref: IRDAI/F&I/ORD/MISC/119/6/2023 dated 2nd June, 2023, has ordered for transfer of the life insurance business of the insurer to SBI Life Insurance Company Limited (SBI Life).

सर्वे सं. 115/1, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032
Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032
दूरभाष Phone: 040-20204000; www.irdai.gov.in

5. Pursuant to the aforesaid order, the insurance business of the insurer, together with the assets and liabilities pertaining thereto, stood transferred to SBI Life Insurance Company Limited in accordance with law. Consequently, all policyholder servicing and obligations under the transferred insurance business are being discharged by SBI Life Insurance Company Limited.

6. The Authority has reviewed the continuance of the appointment of the Administrator with the insurer and observes as under:

   a) the primary purpose of appointing the Administrator was to preserve and administer the affairs of the insurer pending appropriate regulatory action for protection of policyholders;
   b) the transfer of the insurance business has been completed;
   c) there remains no insurance business requiring management or administration by the Administrator; and
   d) the purpose of appointment of Administrator has been fulfilled.

7. The Authority is, therefore, satisfied that the circumstances warrant cancellation of the order regarding appointment of the Administrator under Section 52D of the Act.

8. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 52D of the Insurance Act, 1938 hereby orders as follows:

   a) The order appointing Shri R.K. Sharma as the Administrator of Sahara India Life Insurance Company Limited made vide Order No. IRDAI/F&A/ORD/FA/134/06/ 2017 dated 12th June, 2017, shall stand cancelled from the date of this order and Shri R.K. Sharma shall cease to exercise the powers and perform the functions of the Administrator of the insurer.
   b) The management and affairs of the insurer, including control and supervision of Shareholders' investments, shall, with effect from 17.8.2026, stand vested in and be carried on by the insurer.

9. It is clarified that this Order—

   a) does not affect the validity of any act, decision, direction or action taken by the Administrator during the period of his appointment;
   b) shall not prejudice any investigation, inspection, inquiry, adjudication, prosecution or other legal or regulatory proceedings initiated or proposed to be initiated by the Authority or any other competent authority.

यह आदेश 17.8.2026 से प्रवृत्त होगा।
This Order shall come into force with effect from 17.8.2026.

हस्ता. / sd/-

स्थान/Place: हैदराबाद / Hyderabad

सदस्य (वित्त एवं निवेश) / Member (F&I)

सर्वे सं. 115/1, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032
Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032
दूरभाष Phone: 040-20204000; www.irdai.gov.in